समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

–: आदेश :–

28-06-2013

विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–588/2010 में आवेदिका **श्रीमती नीलम सिंह,** पति–श्री राजेश कुमार सिंह, सा0–हरिपुर, कॉलोनी, थाना–दीघा, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रिवाल्वर शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–28.06.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदिका द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे राज गृह उद्योग, सत्तू/बेसन का व्यवसाय करती हैं। आवेदिका एवं उनके पति दोनों व्यापारी हैं। उनके पति के साथ वर्ष 2008 के अलावे वर्ष 2011 में भी मारपीट की घटना घटी थी। व्यवसाय के क्रम में उनसे आपराधिक चरित्र के कुछ व्यक्तियों से रंगदारी की मांग की जाती है, जिसे नहीं मानने पर उन्हें उनसे खतरा बना रहता है। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना का पत्रांक–165/गो0, दिनांक–25.01.2011 द्वारा आवेदिका के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र अधिनस्थ पदाधिकारियों से जाँचोपरान्त मूल में अग्रसारित कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है। पुलिस उपाधीक्षक, विधि–व्यवस्था, पटना के पत्रांक–32/वि0व्या0, दिनांक–21.01.2011 द्वारा थानाध्यक्ष, दीघा के अनुशंसा से सहमत होते हुए आवेदिका के आवेदित शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अनुशंसित किया गया है। थानाध्यक्ष, दीघा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदिका राज गृह उद्योग, सत्तू/बेसन का व्यवसाय करती हैं। आवेदिका एवं उनके पति दोनों व्यापारी हैं, उनके पति के साथ वर्ष 2008 में मारपीट की घटना घटी थी। साथ ही व्यवसाय के सिलसिले में इधर–उधर आना–जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उन्हें शस्त्र अनुज्ञप्ति आवश्यक है, तदोपरान्त इनके जान–माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदिका द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के

पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदिका को अपने जान–माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदिका द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/ 2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्रीमती नीलम सिंह, पति–श्री राजेश कुमार सिंह, सा0–हरिपुर, कॉलोनी, थाना–दीघा, जिला–पटना को उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर रिवाल्वर शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु **स्वीकृति** प्रदान की जाती है।

श्रीमती सिंह को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

28/6/17

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

28/6/17

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।